134

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR (LOCAL AUDIT WING), PATNA –800 001

No. L.A.Sur/ 1800 **Dated: - 8/05/09**

To,

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Patna.

Sir,

Audit Report No.- **794/2008-09** on the accounts of **Nagar Parishad, Araria** for the period **2006-07 to 2007-08** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

Sr. Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

Encl: -As above

(133)

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः- 794/2008-09
नगर परिषद, अररिया

प्रस्तावना

नगर परिषद, अररिया के वर्ष 2006-07 से 2007-08 तक के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 22.01.2009 से 07.02.2009 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

(क)	अध्यक्ष	अवधि
(i.)	श्री विजय कुमार मिश्र	01.09.2006 से 21.06.2007
(ii.)	श्रीमति अंजनी जायसवाल	22.06.2007 से 31.03.2008
(ख)	उपाध्यक्ष	
(i.)	श्रीमति सरोजनी देवी	01.04.2006 से 21.06.2007
(ii.)	श्रीमति अफसाना परवीण	22.06.2007 से 31.03.2008
(ग)	कार्यपालक पदाधिकारी	
(i.)	श्री अशोक कुमार तिवारी	01.04.2006 से 10.12.2006
(ii.)	श्री एल0 एन0 मिश्रा	11.12.2006 से 14.01.2007
(iii.)	श्री सुरज कुमार सिन्हा	15.01.2007 से 31.03.2008

3. लेखा परीक्षा की परिसीमा।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व नमूना जाँच की गई अभिलेखों की सूची परिशिष्ट- I एवं असंधारित अथवा अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट- II पर दी गई है।

132

4. अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियाँ

क्रम सं0	कंडिका सं0	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	9	अनुदान पंजी का संधारण नहीं	
2.	11 (ii)	कम/नही जमा	1.97
3.	& 1 (iii)	अंकेक्षण के दौरान जमा राशि	0.78
4.	12	अधिक निकासी	0.10
5.	14	निगमों करो से संबंधित माँग व वसूली पंजी का संधारण नहीं	
6.	15	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि जमा नही	27.18
7.	19	सैरात पंजी का संधारण नहीं	
8.	20 (ii)	निरर्थक व्यय	10.50
9.	21	आई0डी0एस0एम0टी0	6.22
10.	22	विचलन	0.49

5. आन्तिरक लेखा परीक्षा।

बिहार नगरपालिका अधिनियम- 1922 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली में नगरपालिका लेखा के आंतरिक अंकेक्षण का प्रावधान नहीं हैं। परन्तु बिहार लेखा नियमावली- 1928 के नियम 20, 30, 66 तथा नगरपालिका लेखा नियमावली (Recovery of Taxes) के अधीन नियम 30, 37 एवं 39 में नगरपालिका पदाधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाली विभिन्न जाँचों का प्रावधान है।

अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त जाँच प्रक्रिया का कार्यान्वयन नगर परिषद पदाधिकारियों द्वारा पूर्णतः नहीं

जिससे अनके त्रृटियाँ व अमियमितताएँ जिनकी विवेचना आगे की गई है, दृष्टिगोचर हुई। अगर उक्त जाँच प्रक्रिया का पालन निश्चित अन्तराल पर किया जाता रहता तो प्रतिवेदन में वर्णित अनियमितताओं तथा जो त्रृटियाँ उजागर नही हो सकी को टाला जा सकता था।

अतः भविष्य में निश्चित अनतराल पर जाँच किया जाए ताकि अनियमितताओं की पुनरावृति न हो तथा त्रृटियों का परिमार्जन हो सके।

6. रोकड़ बही।

(क) लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयीः-

(1.) कोषागार खाता से संबंधित रोकड़ बही में आय और व्यय का शीर्ष दर्ज नहीं पाया गया साथ ही अन्य रोकड़ बहीयों में भी बहुत जगहों पर आय व्यय का शीर्ष दर्ज नही पाया गया।

(2.) रोकड़ बही में अभिश्रव संख्या कही भी लिखा हुआ नहीं पाया गया।

(3.) रोकड़ बही के शेष को कोषागार लेजर/बैंक स्टेटमेंट के शेष के साथ मिलान नहीं किया गया। इसे मिलान कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(4.) वर्ष के अन्त में आय और व्यय का सार तैयार नहीं किया गया।

(ख) रोकड़पाल रोकड़ बही के अवलोकन मे निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयीः-

(1.) रोकड़ बही मे दिनांकवार प्रविष्टि नही पायी गयी जिसके कारण अंकेक्षण के दौरान बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा।

(2.) रोकड़ बही में बहुत से जगहों पर कटिंग की गयी थी। लेकिन इसके विरूद्ध सक्षम पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर नही पाया गया।

(130)

7. (i) वित्त।

नगर परिषद द्वारा कोषागार (बैंक) नाला शीर्ष, सड़क शीर्ष तथा अन्य योजनाओं (यथा- रा0ग0ब0 कार्य0, आई0डी0एस0एम0टी0, द्वादश वित्त आयोग, स्व0ज़0रा0रो0 योजना आदि) से संबंधित रोकड़ बही का संधारण किया गया था। रोकड़बहीयों के अनुसार वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान आय-व्यय की स्थिति निम्न है:-

(क)	कोषागार		
	विवरण	2006-07	2007-08
(1.)	प्रारम्भिक शेष	24,03,726.84	36,46,781.84
(2.)	प्राप्तियाँ		
(i)	वेतन के लिये अनुदान	2,22,572.00	22,25,724.00
(ii)	द्वादश वित्त आयोग	12,33,897.00	25,45,698.00
(iii)	ट्रैक्टर	4,25,000.00	-----
(iv)	चापाकल	-----	18,42,080.00
(v)	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	7,22,270.00	15,23,560.00
(vi)	स्वयं के स्त्रोत	25,50,575.00	36,19,549.00
(3.)	कुल प्राप्तियाँ [2(i) to 2(vi)]	51,54,314.00	1,17,56,611.00
(4.)	कुल (1+3)	55,94,966.00	1,54,03,392.84
(5.)	व्यय		
(क)	स्थापना एवं अन्य	32,75,145.00	64,83,042.00
(ख)	बैंक रोकड़ बही में स्थानान्तरण	6,36,114.00	6,30,850.00
(6.)	कुल व्यय [5(क)+5(ख)]	39,11,259.00	71,13,892.00

(7.)	अन्तः शेष	36,46,781.84	82,89,500.84

(ख)	बैंक रोकड़ बही (योजना)		
	विवरण	2006-07	2007-08
(1.)	प्रारम्भिक शेष	9,45,107.78	1,27,49,219.14
(2.)	प्राप्तियाँ		
(i)	वेतन के लिये अनुदान	5,97,266.00	----
(ii)	द्वादश वित्त आयोग	15,29,915.00	----
(iii)	आई0डी0एस0एम0टी0	1,24,85,000.00	----
(iv)	स0ज0रा0रो0यो0	24,28,353.00	----
(v)	डी0पी0आर0	50,000.00	----
(vi)	बी0पी0एल0	1,81,782.00	62,094.00
(vii)	प्रशासनिक भवन	----	38,79,075.00
(viii)	स्वयं के स्त्रोत	81,000.00	50,000.00
(ix)	अन्य	1,14,803.36	5,99,748.32
(x)	कोषागार खाता से स्थानान्तरण	6,36,114.00	6,30,850.00
(3.)	कुल प्राप्तियाँ [2(i) से 2 (x)]	1,81,04,233.36	52,21,767.32
(4.)	कुल (1+3)	1,90,49,341.14	1,79,70,986.46
(5.)	व्यय	63,00,122.00	1,01,74,710.00
(6.)	अन्तःशेष (4-5)	1,27,49,219.14	77,96,276.46

128

(ग)	सड़क शीर्ष		
	विवरण	2006-07	2007-08
(1.)	प्रारम्भिक शेष	शून्य	2,50,677.82
(2.)	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	1,00,00,000.00	----
(ii)	सूद	67,914.82	5,591.29
(3.)	कुल प्राप्तियाँ [2(i) से 2 (ii)]	1,00,67,914.82	5,591.29
(4.)	कुल (1+3)	1,00,67,914.82	2,56,269.11
(5.)	व्यय	98,17,237.00	1,70,703.00
(6.)	अन्तःशेष (4-5)	2,50,677.82	85,566.11

(घ)	नाला शीर्ष		
	विवरण	2006-07	2007-08
(1.)	प्रारम्भिक शेष	शून्य	5,50,417.20
(2.)	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	2,28,80,100.00	----
(ii)	सूद	1,64,926.20	30,399.93
(3.)	कुल प्राप्तियाँ [2(i) से 2 (ii)]	2,30,45,026.20	30,399.93
(4.)	कुल (1+3)	2,30,45,026.20	5,80,817.13
(5.)	व्यय	2,24,94,609.00	3,38,049.00
(6.)	अन्तःशेष (4-5)	5,50,417.20	2,42,768.13

127

7. (ii) अन्तःशेष

क्रम सं0	विवरण	रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.03.2008 को अन्तःशेष	कोषागार लेजर/बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 30.03.2008 को अन्तःशेष	अन्तर
1.	कोषागार	82,89,500.84	82,89,500.84	Nil
2.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या- 01100050222	77,96,276.46	अद्यतन नहीं	
3.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या- 11432643564	85,566.11	85,566.11	Nil
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या- 11432643875	2,42,768.13	2,42,768.13	Nil

अंकेक्षण आपत्ति।

(1.) नगर परिषद द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं यथा द्वादश वित्त आयोग, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना, आदि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के लिये एक रोकड़ बही का संधारण किया गया था। जबकि इन अनुदानों के लिये पृथक-पृथक रोकड़ बही का संधारण करना चाहिए था।

(2.) नगर परिषद द्वारा वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया था।

(3.) रोकड़बही में दिनांक 31.03.2008 को दर्ज शेष का बैंक स्टेटमेंट में दर्ज शेष के साथ समाधान विवरणी रोकड़ बही में दर्ज नही पाया गया।

सामाधान विवरणी दर्ज कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

126

(4.) खाता संख्या- 01100050222 के बैंक स्टेटमेंट को अद्यतन करकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

8. कोषागार पासबुक।

बार-बार लिखित एवं मौखिक आग्रह के बावजूद कोषागार पासबुक को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण अंकेक्षण अवधि में कोषागार खाता से किये गये लेन-देन की जाँच नहीं किया जा सका।

9. अनुदान।

नगर परिषद द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया। जिसके कारण दिनांक 01.04.2006 को अव्ययित अनुदान की राशि, वर्ष 2006-07 से 2007-08 के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि तथा उस पर हुए व्यय की राशि और वर्ष के अन्त में अव्ययित अनुदान की राशि का पता नहीं चल सका। यद्यपि अंकेक्षण में प्रस्तुत रोकड़ बहीयों के अनुसार वर्ष 2006-07 से 2007-08 के दौरान रूपये 6,24,02,592.00 अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

(क) कोषागार रोकड़ बही के अनुसार

क्रम सं0	प्राप्ति की तिथि	पत्रांक व दिनांक	राशि (रूपये में)	विवरण
1	23.03.2007	N.M.	4,25,000.00	ट्रैक्टर
2	23.03.2007	N.M.	12,33,897.00	द्वादश वित्त आयोग
3	31.03.2007	N.M.	2,22,572.00	वेतनादि
4	जनवरी 2008	5263/N.V.V./ 26.11.2007	22,25,724.00	वेतनादि
5	January 2008	5674/N.V.V./	25,45,698.00	द्वादश वित्त आयोग

125

		10.12.2007		
6	March 2008	857/N.V.V./ 21.02.2008	18,42,080.00	चापाकल क्रय हेतु
बैंक रोकड़ बही के अनुसार				
7	22.05.2006	N.M.	15,29,915.00	द्वादश वित्त आयोग
8	22.05.2006	N.M.	2,61,152.00	वेतनादि
9	19.05.2006	410/N.V.V./ 18.05.2006	1,24,85,000.00	I.D.S.M.T.
10	August 2006	N.M.	24,28,353.00	S.J.S.R.Y.
11	01.11.2006	N.M.	50,150.00	Remuneration of Financial Survey
12	06.12.2006	N.V.V.	50,000.00	D.P.R. हेतु
13	07.03.2007	N.M.	1,81,782.00	बी0पी0एल0 सर्वेक्षण
14	08.05.2007	N.M.	38,79,075.00	नगर परिषद कार्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु
15	29.12.2007	N.M.	62,094.00	बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के पुनरीक्षण हेतु
16	21.02.2008	N.M.	1,00,000.00	जानवरों के सर्वेक्षण हेतु
सड़क शीर्ष				
17	17.05.2006	1102/ 31.03.2006 1131/ 31.03.2006	1,00,00,000.00	
नाला शीर्ष				
18	11.05.2006	1101/N.V.V./ 30.03.2006	2,28,80,100.00	नाला के निर्माण एवं मरम्मत हेतु
कुल			**6,24,02,592.00**	

अतः अनुदान पंजी का संधारण का अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10. गृह निर्माण।

नगर परिषद, अररिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार गृह निर्माण के लिये वर्ष 2006-07 से 2007-08 के दौरान नक्शा पास करने के लिये प्राप्त आवेदन, स्वीकृत, अस्वीकृत आदि का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः-

क्रम सं0	वर्ष	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	प्रक्रिया के
1.	2006-07	87	65	10	12
2.	2007-08	131	96	15	20
कुल		**218**	**161**	**25**	**32**

उपरोक्त 161 स्वीकृत नक्शा मे से निर्मित भवनों की संख्यों तथा उस पर निर्धारित कर की स्थिति अंकेक्षण में नहीं बतलाया गया। अतः निर्माण किये गये भवनों की जाँच कर उसपर कर निर्धारित कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

11. (i.) कम जमा।

श्री मंडल, सहायक द्वारा विविध रसीद के माध्यम से रूपये 5710.00 वसूल किया गया लेकिन परिषद कोष में मात्र रूपये 5610.00 ही जमा किया गया। इस प्रकार रूपये 100.00 कम जमा किया गया। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा हैः-

क्रम सं0	विविध रसीद सं0/दिनांक	वसूली गयी राशि (रू0)	जमा की गयी राशि (रू0)	कम जमा (रू0)
1.	2103/31.08.2007	2870.00	2810.00	60.00

123

2.	3454-3470/ 02.05.2006 से 24.05.2006	2840.00	2800.00	40.00
कुल		5710.00	5610.00	100.00

अतः रूपये 100.00 श्री मंडल से वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा किया जाए तथा इसका जमा अगले अंकेक्षण को दिखलायया जाए।

11. (ii.) नही/कम जमा।

कोषागार पासबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके स्थान पर कोषागार लेजर का फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत किया गया। रोकड़पाल रोकड़ बही के जमा को बैंक लेजर से मिलान के दौरान पाया गया कि रोकड़प्राल द्वारा रूपये 2,71,961.95 वसूल किया गया लेकिन परिषद कोष में मात्र रूपये 43,094.00 ही जमा किया गया। फलस्वरूप रूपये 2,28,867.95 रोकड़पाल द्वारा कम या नहीं जमा किया गया। (विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट संख्या- III पर) यद्यपि अंकेक्षण के दौरान रोकड़पाल द्वारा नगर परिषद कोष में रूपये 78,287.00 जमा किया गया जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

क्रम सं0	बैंक स्कौल संख्या/दिनांक	राशि (रू0)
1.	9/29.01.2009	17,947.00
2.	8/29.01.2009	15,944.00
3.	7/29.01.2009	13,761.00
4.	18/03.02.2009	14,936.00
5.	19/03.02.2009	15,699.00
कुल		78,287.00

122

अतः रूपये 1,50,580.95 संबंधित लेखापाल से वसूल किया जाए।

11. (iii.) कम/नही जमा।

कर संग्राहकों के द्वारा 'एच' रसीद के माध्यम से रूपये 46,486.00 वसूल किया गया। परन्तु परिषद कोष में या तो कर संग्राहकों द्वारा था रोकड़पाल द्वारा इसे जमा नही किया गया। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

क्रम सं0	कर संग्राहक/रोकड़पाल का नाम	राशि (रू0)
1.	श्री एम0के0 मल्लिक, कर संग्राहक	5,319.00
2.	श्री ए0के0 ठाकुर, कर संग्राहक	4,101.00
3.	श्री अर्जुन लाल यादव, कर संग्राहक	16,853.00
4.	श्री यु0एन0 वर्मा, रोकड़पाल	37,066.00
कुल		46,486.00

(विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट- IV पर)

अतः रूपये 46,486.00 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर परिषद कोष में जमा किया जाए तथा इसका जमा अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाये।

11. (iv.) जमा दिखलाया जाए।

विविध रसीद बही को दैनिक वसूली पंजी से मिलान के दौरान पाया गया कि विविध रसीद के द्वारा रूपये 35,501.00 वसूल की गयी। लेकिन इसका जमा नहीं दिखलाया गया। जिसका विवरण नीचे दिखलाया जा रहा है:-

क्रम सं0	विविध रसीद सं0 / दिनांक	दिनांक	राशि (रू0)	विवरण
1.	1650	29.03.2008	25,000.00	C.B. Jha, वाहन सेवा शुल्क का अग्रधन की राशि
2.	1658	29.03.2008	2,100.00	श्रीमति राधिका देवी, अग्रधन की राशि
3.	1677	30.03.2008	8,401.00	श्रीमति राधा देवी, अग्रधन की राशि
कुल			35,501.00	

अतः इसका जमा अगले अंकेक्षण मे दिखलाया जाए।

12. अधिक निकासी।

रोकड़पाल रोकड़बही के अनुसार रोकड़पाल द्वारा रूपये 2,71,887.00 प्राप्त किया गया। जबकि इसके विरूद्ध मात्र रूपये 2,61,887.00 का ही वास्तविक भुगतान किया गया। इस प्रकार रूपये 10,000.00 की निकासी अधिक की गयी। जिसका विवरणी नीचे दिया जा रहा है:-

रोकड़बही के अनुसार प्राप्ति तिथि तथा पृष्ठ संख्या	चेक संख्या/दिनांक	राशि (रू0)
19.01.2007 (P/27)	1250701/19.01.2007 250702/19.01.2007	2,61,617.00 10,270.00
कुल		2,71,887.00

120

व्यय की तिथि तथा पृष्ठ संख्या		राशि (रू0)
N.M./P(28-31)		(-) 2,61,887.00
अधिक निकासी		10,000.00

अतः रूपये 10,000.00 रोकड़पाल से वसूल कर परिषद कोष में जमा किया जाए तथा इसका जमा अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

13. पेशा कर और भयावह तथा खतरनाक अनुज्ञप्ति शुल्क का अधिरोपण नहीं।

नगर परिषद में अररिया में पेशा कर और भयावह तथा खतरनाक अनुज्ञप्ति शुल्क का अधिरोपण नहीं किया गया था। इन करों को लागु नही करने के कारण इनसे मिलने वाली करों से नगर परिषद वंचित रहा। ज्ञात हो कि बिहार सरकार ने नगर निकायों को दिये जाने वाली अनुदानों से वर्षवार 20% कटौती करने का फैसला लिया है। नगर परिषद को वित्तीय मामलें में स्वावलंबी बनाने के लिये इन करों को लागु करना अपेक्षित है।

अतः करों को लागु करने की दिशा में उचित कदम उठाया जाए।

14. माँग व वसूली पंजी।

बकाया माँग, चालू माँग और वसूली की राशि की जानकारी प्राप्त करने हेतु माँग एवं वसूली पंजी मूल अभिलेख होता है। परन्तु पुर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों मे बार-बार सुभाव देने के बावजूद नगर परिषद द्वारा माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नही किया गया। जिसके कारण अंकेक्षण यह जानने मे असफल रहा कि कर संग्राहको के द्वारा जो राशि वसूल की गयी वह सही है या नही।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार मकान कर से संबंधित माँग वसूली एवं अवशेष का विवरण निम्न है:-

क्रम सं0	वर्ष	माँग	वसूली	अवशेष	वसूली का प्रतिशत
1.	2006-07	45,88,410.70	10,87,762.84	35,00,64,647.86	23.70
2.	2007-08	83,24,648.06	28,39,088.43	54,85,559.63	34.10

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट- V पर)

संबंधित संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नही जाने के कारण उपरोक्त की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वसूली का प्रतिशत 23.70 से 34.10 प्रतिशत के बीच रहा। जो निर्धारित न्यूनतम वसूली 85 प्रतिशत की सीमा से कम है।

अतः सक्षम प्राधिकारी को ध्यानाकर्षित किया जाता है कि नगर परिषद की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वसूली हेतु ठोस कदम उठाया जाए।

15. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं।

बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य उपकर नियमावली 1972 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली गई राशियों में से 10 प्रतिशत वसूली खर्च काटकर शेष राशि सरकारी कोष से संबंधित आप शीर्ष में जमा कर देनी है। क्योंकि ये उपकर सरकारी राजस्व है तथा नगर परिषद मात्र इसका वसूलीकर्त्ता के रूप में कार्य करती है।

नगर परिषद अररिया द्वारा वर्ष 2006-07 से 2007-08 तक की अवधि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकरों की कुल राशि रूपये

118

14,24,157.80 वसूल की गई जिसमें से 10% अर्थात रूपये 1,42,415.80 वसूली शुल्क काटकर शेष राशि रूपये 12,81,742.00 संबंधित सरकारी कोष में जमा नहीं कराई गयी। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

क्रम सं0	वर्ष	शिक्षा उपकर की राशि (रू0 में)	स्वास्थ्य उपकर की राशि (रू0 में)	अभ्युक्ति
1.	2000-01 से 2005-06	7,98,319.71	7,98,319.71	अ0प्र0सं0 189/2006-07 की कंडिका संख्या-19 के अनुसार
2.	2006-07	1,94,267.95	1,94,093.85	
3.	2007-08	5,18,402.80	5,17,393.20	
योग		15,10,990.46	15,09,806.76	
घटाव 10% वसूली खर्च		1,51,099.04	1,50,980.68	
कुल		13,59,891.42	13,58,826.08	

इस प्रकार ऊपर वर्णित राशि रूपये 27,18,717.50 (13,59,891.42+13,58,826.08) संबंधित सरकारी कोष में जमा किया जाए तथा इसका जमा अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

16. दूकान किराया।

(क) दूकान किराया से संबंधित मॉंग व वसूली पंजी का संधारण ठीक ढ़ंग से नही किया गया था। पंजी में केवल वसूली का जिक्र था। परन्तु किराया कब से बकाया था इसका जिक्र नहीं था।

अतः मॉंग व वसूली पंजी का संधारण ठीक ढ़ंग से कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

117

(ख) नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार 13 विभिन्न दुकानदारों के यहाँ दिनांक 31.03.2008 तक 38,650.00 रूपये बकाया था।

अतः बकाया किराया को वसूलने के लिये उचित कदम उठाया जाए।

(विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट संख्या- VI पर)

17. सरकारी भवनों पर बकाया कर।

अंकेक्षण को उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार दिनांक 31.03.2008 तक सरकारी भवनों पर बकाया राशि रूपये 13,46,780.00 था। परन्तु अंकेक्षण मे इससे संबंधित कोई भी पंजी/संचिका प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण दी गयी विवरणी की जाँच नहीं की जा सकी।

अतः बकाया राशि की वसूली के लिये समुचित कदम उठाया जाए।

(विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के कंडिका संख्या- VII पर)

18. रसीद बहियों का अप्रस्तुतीकरण।

निम्नलिखित 'एच' रसीद बहियों को अनेकों बार लिखित व मौखिक रूप से स्मारित किये जाने के बावजुद लेखा परीक्षा में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया गयाः-

क्रम सं0	'एच' रसीद संख्या	निर्गत तिथि	किसे निर्गत हुआ
1.	6001-6100	18.03.2006	श्री अर्जुन लाल यादव, कर संग्राहक
2.	8301-8400	09.03.2002	श्री मो0 इदरिस, कर संग्राहक

116

इन रसीद बहियों को अगले लेखा परीक्षा में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

19. सैरात पंजी।

नगर परिषद द्वारा सैरात पंजी का संधारण नही किया गया था। सैरात पंजी का संधारण नही किये जाने के कारण दिनांक 01.04.2006 को बकाया राशि, सैरातों की कुल संख्या, वर्ष 2006-07 से 2007-08 के दौरान बन्दोबस्त हुये सैरातों की संख्या और इनसे वसूल किये गये राशि की जानकारी तथा दिनांक 31.03.2008 को बकाया राशि की जानकारी नही हो सकी।

अतः सैरात पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

20. (i.) सामग्री का क्रय (12th F.C.)।

नगर परिषद अररिया ने बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि से आम सूचना दिनांक 02.05.2006 के द्वारा ठेला एवं डस्टबीन को क्रय करने के लिये निविदा आमंत्रित किया। जिसमे 3 आपूर्तिकर्त्ताओं ने भाग लिया। क्रय समिति ने दिनांक 02.05.2006 को लिये बैठक मे सामानों की आपूर्ति के लिये मेसर्स शक्ति एग्रो इनडस्ट्रीज, फारबीसगंज का चयन किया। आपूर्तिकर्त्ता ने दिनांक 23.08.2007 को सामानों की आपूर्ति किया। इसके लिये उसे कुल रूपये 6,37,500.00 भुगतान किया गया। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

क्रम सं0	सामग्री का नाम	दर (रू0 में)	भुगतान की तिथि	भुगतान की राशि	विवरण
1.	डस्टबीन (110 बीस)	4,500.00	12.07.2006	3,50,000.00	मेसर्स शक्ति एग्रो इन्डस्ट्रीज